हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है इसमें संलग्न होने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी

रैगिंग के अंतर्गत आने वाले कृत्य

निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कृत्य/कृत्यों को रैगिंग के अंर्तगत माना जायेगा–

- कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वार बोली जाने वाली या लिखित अथवा जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता प्रदर्शित होती हो, चाहे वह फिर नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।
- कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है। उनकी किसी भी हरकत से झुझलाइट, कठिनाई, शारीरिक–परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसार, भय या आशंका पैदा होने की संभावना हो, तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है।
- किसी भी छात्र को काई भी ऐसा कार्य करने के लिए कहना जिससे उसे पीड़ी या शर्मिंदगी की भावना का सामना करने पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो, रैगिंग माना जायेगा।
- एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवप्रवेशी छात्र या अन्य छात्र की नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य रैगिंग माना जायेगा।
- एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवप्रवेशी छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण रैगिंग माना जायेगा।
- कोई भी ऐसा कृत्य जो विशिष्ट छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या आर्थिक बोझ डालना रैगिंग माना जायेगा।
- शारीरिक शोषण के सभी प्रकार, यौन शोषण का कोई भी कृत्य, समलैगिंग हमले, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा किसी छात्र को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण बनना रैगिंग माना जायेगा।
- कोई भी हरकत, बोल गये शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरूपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना, रैगिंग माना जायेगा।
- कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक नवप्रवेशी या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, रैगिंग माना जायेगा।

रैगिंग में संलिप्तता के आधार पर दोषी पाये जाने पर निर्धारित दण्ड

रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर किसी छात्र को निम्नलिखित में से एक या एक अधिक दण्ड दिया जा सकता है–

- शैक्षिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध।
- छात्रवृत्ति रोकना/वापसी, फेलोशिप और अन्य लाभों से वंचित किया जाना।
- किसी भी परीक्षा/परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रदर्शित होने से रोकना।
- परीक्षा के परिणामों पर रोक।
- किसी भी संस्था का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंर्तराष्ट्रीय स्पर्धा, टूर्नामेन्ट, युवा त्यौहार आदि में प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
- छात्रावास से निलम्बन/निष्कासन
- छात्र के रूप में नामांकन/प्रवेश निरस्तीकरण।
- एक से लेकर चार सेमेस्टर की अवधि के लिए सस्था से निष्कासन।
- संस्था से निष्कासन और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्या संस्था में प्रवेश बंद
- आवश्यक होने पर कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस प्रशासन को सौंपा जाना।
- जहां पर किसी व्यक्ति को रैगिंग करने और उकसाने का कार्य नहीं पहचान में आ रहा हो तो सामूहिक सजा का प्रावधान पर कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

BY EMAIL

D.O. No.1-15/2021(ARC)

16 SEP 2022 September, 2022

Respected Madam/Sir,

In pursuance to the Judgement of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC had notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. These regulations are mandatory for all higher educational institutions across the country.

As multiple mechanisms are required to ensure a ragging-free campus, here are some recommendations and action steps which are need to be taken by your esteemed university and all institutions under your ambit.

A. Basic Measures:

1. Constitution of anti-ragging committee, anti-ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell and adequate publicity for these measures through various media.

2. A clear mention of anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets /brochures shall be ensured.

3. Preparation of e-admission booklet or brochure, e-leaflets of your institutions giving detailed guidance to admitted students in case of ragging, instead of print/hard copy.

4. Display of banners/posters at conspicuous places in the campus to create awareness on anti-ragging measures amongst students (soft copy of the posters attached are also available on UGC website www.ugc.ac.in & www.antiragging.in)

5. Updation of websites of institutions with the complete address and contact details of nodal officers related to anti-ragging committee.

6. An online undertaking in every academic year to be submitted by each student and every parent, in compliance with the UGC Regulations and its 2nd Amendment regarding submission of undertaking.

7. UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following:

   "3. (i) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background."

8. Installation of CCTV cameras at vital points.

B. Counseling and monitoring measures

1. Regular interaction and counseling with the students to detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.

2. Surprise inspection at hostels, students' accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behaviour/incident.

P.T.O.

C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus

1. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.
2. Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed.

D. Using other UGC initiated measures

1. Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline **1800-180-5522 (24x7 Toll Free)** or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in.
2. For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Centre for Youth on mobile No. 09818044577 (only in case of emergency).
3. UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and has undertaken following activities to promote anti-ragging which are available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.
    a. UGC has developed 05 TVCs of 30 seconds each from different perspectives i.e. Parents, Victim and Offenders.
    b. UGC has designed and distributed posters amongst Universities/Regulatory Authorities/Councils/IITs/NITs/Other educational institutions for prominent display.
    c. UGC has consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty /general public for the wider awareness of the menace of ragging.

Any violation of UGC Regulations or failure of institution to take adequate steps to prevent ragging in accordance with these Regulations or failure to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, will attract punitive action under the UGC Act.

You are also requested to fill online compliance on www.antiragging.in and also immediately instruct all the colleges/institutions under their purview to follow it.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

The Vice-Chancellor of all Universities / Directors of all HEIs / Principal of all Colleges

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

अ०श०मि.स० 1-15/2009 (एआरसी) पीटी.III

सितंबर, 2022

16 SEP 2022

प्रिय महोदया / महोदय,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 8.5.2009 से प्राप्त निर्देशों तथा भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग- निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए यू.जी.सी. के अधिनियम 1956 धारा 26 उपखंड (G) उपखंड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यू.जी.सी. ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009" को अधिसूचित किया है। संपूर्ण जानकारी के लिये यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट: www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर उपलब्ध है। यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित किया गया यह अधिनियम सभी शिक्षण संस्थानों के लिये अनिवार्य है और सभी संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया सहित अन्य आवश्यक कदम उठायेंगे और इस अधिनियम में उल्लेखित भागों के किसी भी तरह के उल्लंघन को उनके द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है या यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है और रैगिंग की घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने में विफल रहता है तो यूजीसी द्वारा उस संस्थान के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस संदर्भ में सभी संस्थानों से अनुरोध है कि विभिन्न रैगिंग-रोधी माध्यमों के पर्याप्त प्रचार प्रसार, रैगिंग-रोधी समिति एवं रैगिंग-रोधी दस्ते का गठन, रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, रैगिंग-रोधी कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन, सभी वेबसाइटों को नोडल अधिकारियों के पूर्ण विवरण सहित अपडेट कर, अलार्म घंटी आदि द्वारा रैगिंग-रोधी तंत्र को आगे बढ़ाएं। छात्रों से नियमित बातचीत और काउंसलिंग, शरारती छात्रों की पहचान और संस्थान के ई- प्रोस्पेकटस और ई- सूचना पुस्तिकाओं / विवरणिकाओं में रैगिंग-रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, हॉस्टल, छात्रावास, जल पान गृह, विश्राम व मनोरंजन कक्ष, शौचालयों व बस अड्डों का औचक निरीक्षण किया जाए तथा संस्थान का प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालयों, जल पान गृह, हॉस्टल, सार्वजनिक सुविधायें आदि जैसे सभी प्रमुख स्थानों पर रैगिंग-रोधी पोस्टर लगाये जाएं। ये पोस्टर यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। पोस्टरों का आकार 8 x6 फीट होना चाहिए। संस्थान रैगिंग व किसी अनुचित व्यवहार / घटना की रोकथाम के लिये कोई अन्य उचित उपाय भी कर सकते हैं।

रैगिंग से जुड़ी घटनाओं के कारण संकट में पड़े छात्र राष्ट्रीय रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोलफ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग-रोधी helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं। रैगिंग संबंधित अन्य जानकारी के लिये कृपया यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएँ और यूजीसी की निगरानी एजेंसी अर्थात सेंटर फॉर यूथ (सी4वाई) के मोबाइल नंबर 09818044577 पर संपर्क करें (केवल आपातकाल के मामले में)।

यूजीसी विभिन्न प्रकार के रैगिंग - रोधी मीडिया अभियान भी चलाती है और यूजीसी ने रैगिंग निषेध को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की हैं जो यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं:-

क) यूजीसी ने माता-पिता, पीड़ित और दोषियों के परिप्रेक्ष्य में पांच टीवी क्लिप (प्रत्येक 30 सेकंड) तैयार की हैं।

ख) यूजीसी ने चार प्रकार के पोस्टर तैयार किये हैं और इनको विश्वविद्यालयों/ नियामक प्राधिकरणों / परिषदों / आईआईटी / एनआईटी / अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए आवंटित किया है।

ग) यूजीसी ने छात्रों/ शिक्षकों/ आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाने के लिये रैगिंग-रोधी विषय से संबंधित दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

यूजीसी विनियमों के दूसरे संशोधन के अनुपालन में, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता-पिता द्वारा www.antiragging.in पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक ऑनलाइन वचनबंध (Undertaking) जमा करना अनिवार्य बनाएं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन रैगिंग-रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें। छात्रों को उसकी पंजीकरण संख्या के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा। छात्र उस ई-मेल को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नोडल अधिकारी के ई-मेल में अग्रेषित करेगा। **(कृपया ध्यान दें कि छात्रों को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उन्हें इसे प्रिंट कर हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले के मामले में हुआ करता था)।**

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की रैगिंग रोधी समिति के नोडल अधिकारी का ई-मेल, पता और संपर्क नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास और सामान्य सुविधा आदि स्थानों पर प्रदर्शित करना होगा।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में निम्नवत एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैगिंग रोधी वचन पत्र संदर्भ संख्या:	

विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध है कि वे ऑनलाइन अनुपालन www.antiragging.in पर भरें और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी महाविद्यालयों को भी इसका पालन करने का निर्देश दें।

सादर,

भवदीय,

रजनीश

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अ०श०मि०स० 3-2/2021 (ए.आर.सी)

27 OCT 2021

अक्तूबर, 2021

SPEED POST

विषय: विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया।

प्रिय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विनियम, 2009" में अधिसूचित किया है जिसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन वचन पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया को सहज करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

संशोधित प्रक्रिया निम्नवत हैं:

चरण 1: विद्यार्थी अपना विवरण पूर्ववत् (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) वेबसाइट पर जमा करेंगे और पढ़कर इसकी पुष्टि करेंगे कि वे और उनके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग को रोकने के लिए विनियम को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है, वे इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि वे किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।

चरण 2: विद्यार्थी को उसकी पंजीकरण संख्या और एक वेब लिंक के लिए एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। **(कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।**

चरण 3: विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नोडल अधिकारी उन विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने महाविद्यालय में रैगिंग रोधी शपथ पत्र/वचन पत्र जमा किए हैं, अपने महाविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी से प्राप्त किसी भी अग्रेषित ईमेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सूची हर 24 घंटे में अद्यतन की जाएगी।

जारी.../-

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैगिंग रोधी शपथ की संदर्भ संख्या:	

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के रैगिंग रोधी नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क हेतु टेलीफोन नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास, और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें ताकि विद्यार्थियों में ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रवेश-पुस्तिका/विवरणिका आदि की प्रिन्ट/हार्ड कॉपी के बजाय उनकी सॉफ्ट कॉपी तथा साथ ही रैगिंग सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु ई-लिफ्लेट भी प्रकाशित की जाए।

सादर,

भवदीय,

रजनीश

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य